

उत्थान अभियान

मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निःशक्तजनों के कल्याणार्थ उत्थान अभियान वर्ष 2006 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि सर्वप्रथम जिले में निःशक्तजनों का सर्वेक्षण कराया जावे। सर्वेक्षण में विभिन्न संवर्ग के जिले में 17492 निःशक्तजन पंजीबद्ध किये गये। जिनका शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये। जिले में इस अभियान के तहत निःशक्तजनों को माह अक्टूबर 2008 तक 2043 विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरित किये गये हैं।

राष्ट्रीय न्यास का परिचय

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय न्यास, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम सं० 4) के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है।

राष्ट्रीय न्यास के बुनियादी उद्देश्यः

- (क) निःशक्त व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए और उस समुदाय के भीतर और उसके नजदीक रहने के लिये जिसके वे हैं, समर्थ और सशक्त बनाना।
- (ख) निःशक्त व्यक्तियों को उनके अपने परिवार में रहने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- (ग) निःशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट के समय आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठनों को रजिस्ट्रीकृत करने से सहायता देना।
- (घ) उन निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है।
- (ङ) निःशक्त व्यक्तियों के माता-पिता या संरक्षकों की मृत्यु की दशा में देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों का संप्रवर्तन करना।
- (च) उन निःशक्त व्यक्तियों के लिये जिन्हें ऐसे संरक्षण की आवश्यकता है संरक्षक और न्यासी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया तय करना।
- (छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर अधिकारों के संरक्षण और उन्हें पूर्ण भागीदारी प्रदान करने की सुकर बनाना।
- (ज) पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक कोई अन्य कार्य करना।

राष्ट्रीय न्यास के तहत स्थानीय जिला लोकल लेवल कमेटी गठित है। समिति में 1. कलेक्टर अध्यक्ष, 2. एक विकलांग व्यक्ति, 3. अशासकीय संस्था का सचिव सदस्य हैं।

संरक्षकता (गार्जियन शिप)

18 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले मानसिक निःशक्तजनों के माता-पिता या उनके नातेदारों को गार्जियन शिप प्रदान की जाती है। फरवरी 2006 से अप्रैल 2008 तक शिविरों के माध्यम से 670 मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों को लीगल गार्जियन शिप प्रदान की गई है।

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा क्रमांक 52/2 के तहत ऐसी अशासकीय संस्थाएँ जो विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको तीन वर्ष के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।

; kstuk vrxlr vkonu i= ds l kfk fuEufyf[kr iæk.k i= l yXu gkx%&

1. मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. बुद्धिलब्धता प्रमाण पत्र
4. संयुक्त फोटो (अभिभावक/निःशक्त)

फार्म - क
(नियम 16 (1) देखिए)

निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति - के संरक्षक की नियुक्ति के लिए किसी निःशक्त, नातेदार या रजिस्ट्रीकृत संगठन द्वारा स्थानीय स्तरीय समिति राष्ट्रीय न्यास को आवेदन का फार्म ।

तारीख

सेवा में,
स्थानीय स्तरीय समिति (राष्ट्रीय न्यास),
जिला जबलपुर
महोदय/महोदया,

श्री/श्रीमती/कुमारी एक

निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति है और किसी संरक्षक द्वारा उसका और उसकी सम्पत्ति का संरक्षण किया जाना है । हम निवेदन करते हैं कि उक्त (निःशक्त) और उसकी सम्पत्ति के संरक्षण के लिए श्री/श्रीमती

..... को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए । अन्य ब्यौरे निम्नलिखित हैं और हम जल्दी निर्णय लेने का निवेदन करते हैं :

1- संरक्षण में दिए जाने वाले (निःशक्त) व्यक्ति की विशिष्टियाँ :-

नाम :

आयु :

निःशक्तता की प्रकृति :

पता :

2- संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति की विशिष्टियाँ :

नाम :

आयु :

प्रतिपाल्य (निःशक्त) के साथ संबंध यदि कोई हो :-

पता :

हम से प्राप्त उपर्युक्त श्री का

निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं ।

भवदीय

(रजिस्ट्रीकृत संस्था होने पर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम :

पदनाम :

कार्यालय की पदमुद्रा

(1) पहला साक्षी हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन नंबर

(2) दूसरा साक्षी हस्ताक्षर नाम

पता

फोन नंबर

संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति की सहमति

में (निःशक्त)श्री और उसकी सम्पत्ति का संरक्षक बनने

के लिए सहमत हूँ और मैं अपनी बाध्यताओं का तत्परता से निर्वहन करूंगा।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

पूर्वोक्त प्रस्ताव के लिए संरक्षक, यदि कोई है, की सहमति -

(पूर्व संरक्षक न होने की स्थिति में माता/पिता/अभिभावक)

में (निःशक्त) श्री के संरक्षक के रूप में श्री

..... का नियुक्त किये जाने के उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

संरक्षक की विस्तृत विशिष्टियाँ :-

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1- नाम | 2- पिता/पति का नाम |
| 3- आयु | 4- शैक्षणिक योग्यता |
| 5- व्यवसाय | 6- वार्षिक आय |
| 7- प्रतिपाल्य से संबंध | 8- टेलीफोन नंबर |
| 9- विस्तृत पता | |

मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी सत्य दी गई है। उपरोक्त में परिवर्तन होने पर मैं तत्काल सूचित करूंगा।

फार्म "ग" एवं "घ" में जानकारी नियत समयानुसार प्रस्तुत करने हेतु बाध्य रहूंगा।

सहायोगी संस्था (यदि कोई हो)

प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक

पद मुद्रा

संरक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक